

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
(General information relating to the Legislative & other matter)
Thursday 06th July, 2000/ Ashadh 06, 1922(Saka)

No. 97

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Addl. Deputy Commissioner of Police, North District, Delhi:-

" I have the honour to inform you that S/Shri Prof. Jagdish Mukhi, Dr. Harsh Vardhan, Purnan Chand Yogi, Sahib Singh Chauhan, Jai Bhagwan Aggarwal, Sushil Choudhary, Ha-rcharan Singh Balli, Avinash Sahani, Naresh Gaur, Nand Kishore Garg, Brahm Singh Tanwar, Mohan Singh Bisht and Ravinder Bansal, M.L.As have been detained under section 65 B.P. Act, for disobeying the lawful directions of Police by Civil line Police Station at 12.05 PM on 5.7.2000.

They were released at 12.10 P.M. on the same day i.e. 5.7.2000 from the same place."

S.K. SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग- 2

॥ विधात्री तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
ब्रहस्पतिवार, 06 जुलाई, 2000/ आषाढ 15, 1922 ॥ शक ॥

न० 97

सदस्यों की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्व श्री प्रो० जगदीश मुखी, डा० हर्ष वर्धन, पुरण चन्द योगी, साहिब सिंह चौहान, जयभगवान अग्रवाल, सुशील चौधरी, हरचरण सिंह बल्ली, अविनाश साहनी, नरेश गोड, नन्द किशोर गर्ग, ब्रह्म सिंह तैवर, मोहन सिंह विष्ट एवं रविन्दर बंसल को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 5.7.2000 को पुलिस थाना सिविल लाइन के द्वारा 12.05 बजे पुलिस की विधि सम्मत निर्देशों की अवक्षा करने के कारण नजर बन्द किया गया।

उन्हे उसी दिन अर्थात् दिनांक 5.7.2000 को अपराह्न 12.10 बजे उसी स्थान से रिहा कर दिया गया।

एस.के. शर्मा
सचिव